सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय,मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड़ नम्बर 3, भोपाल पिन कोड-462016
ई-मेल - dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स.8/एफ.नं.42/2024/5302 भोपाल, दिनांक 19 /12/2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश

विषय:- **कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के संबंध में।**

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल, की अधिसूचना क्रमांक 236778 –2024-छब्बीस-2, दिनांक 17.12.2024 द्वारा ''जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये है अर्थात् राशि रूपये 2.00 लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिये निराश्रित निधि ई-पेमेन्ट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च /आहरण कर सकेगें '' ।

उपरोक्त राजपत्र की प्रति संलग्न है। तदनुसार कार्यवाही /पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/दि.स.8/एफ.नं.42/ 2024/ भोपाल, दिनांक 19 /12/2024

प्रतिलिपी :- 5303

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त संयुक्त /उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा निर्देशित किया जाता हे कि अब कोई भी प्रकरण इस योजना के अंतर्गत संचालनालय को प्रेषित न किये जावें।

आयुक्त 19.12.24
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 26, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. 2367784—2024—छब्बीस—2.— मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6(2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार होंगे, अर्थात् वह रुपए 2.00 लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई—पेमेन्ट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च/आहरण कर सकेंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.

Scanned by CamScanner